

समय-समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे । इन प्रभारों में ईंधन मूल्य, समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे ।

- ड. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा ।
- च यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हों, में स्थानान्तरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा ।
- छ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा ।
- ज. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में वितरण कंपनी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जांच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा ।
- झ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपयोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराये पर देने का कार्य नहीं करेगा ।
- ट. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 तथा उनके तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अंतर्गत ही वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालन करेगा । अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथासंदर्भानुसार की जावेगी ।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

आवेदक ने हस्ताक्षर किये

(नाम व पता)

1) गवाह :-

2) गवाह :-

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किये

(नाम व पता)

1) गवाह :-

2) गवाह :-

वितरण कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

संभाग

दिनांक